



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277203
CG-DL-E-16102026-277203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5428]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 5428]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5642(अ).— यतः, केंद्रीय जनहित में यह आवश्यक और समीचीन समझती है कि तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 4) द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट प्रदान की जाए;

और, यतः, केंद्रीय सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में बोर्ड के प्राधिकृत नीलामी मंचों पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित फ्लू क्युर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का निपटान किया जाए;

इसलिए, अब, केंद्रीय सरकार तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जनहित में, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) को धारा 14 क की उपधारा (1) के साथ पठित किए जाने पर, उसके उपबंधों के प्रवर्तन में आंध्र प्रदेश राज्य में फसल सीजन 2026-2027 के दौरान आयोजित नीलामियों के लिए छूट प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू की बिक्री बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर किए जाने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी (एग्री-VI)/पीटी.]

नितिन कुमार यादव, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2026

S.O. 5642(E).— Whereas, the Central Government considers it necessary and expedient in the public interest, to relax the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);

And whereas, the Central Government considers it necessary in the public interest to dispose of the flue cured virginia tobacco produced by the registered growers at the authorised auction platforms of the Board in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), and in the public interest, the Central Government hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act, in the State of Andhra Pradesh, for the auctions during the crop season 2026-2027, and permits the sale of excess flue cured virginia tobacco produced by registered growers at the auction platforms authorised by the Board.

[F. No. 5/3/2019-EP (Agri-VI) Pt.]

NITIN KUMAR YADAV, Additional Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5643(अ).— तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 4) की धारा 20क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा बोर्ड को यह अधिकार देती है कि वह बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों और डीलरों को आंध्र प्रदेश राज्य में उनके द्वारा अधिकृत नीलामी मंचों पर फसली मौसम वर्ष 2025-2026 के दौरान नीलामी के पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू खरीदने की अनुमति दे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:-

- (क) पंजीकृत उत्पादक द्वारा देय बिक्री की आय का एक प्रतिशत सामान्य सेवा शुल्क, कोटा के पांच प्रतिशत तक उत्पादित अतिरिक्त फ्लू-क्योर वर्जीनिया तंबाकू के लिए प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक द्वारा तंबाकू कोष में योगदान के रूप में दिया जाएगा।
- (ख) पंजीकृत उत्पादक द्वारा देय बिक्री आय के एक प्रतिशत के सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर, प्रति किलोग्राम दो रुपये और बिक्री आय का पांच प्रतिशत, कोटा की पांच प्रतिशत सीमा से अधिक और दस प्रतिशत तक उत्पादित अतिरिक्त फ्लू-क्योर वर्जीनिया तंबाकू के लिए तंबाकू कोष में योगदान किया जाएगा।
- (ग) पंजीकृत उत्पादक द्वारा देय बिक्री आय के एक प्रतिशत के सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर, प्रति किलोग्राम दो रुपये की राशि तंबाकू कोष में दस प्रतिशत की सीमा से अधिक और कोटे के बीस प्रतिशत तक उत्पादित अतिरिक्त फ्लू-क्योर वर्जीनिया तंबाकू के लिए योगदान की जाएगी;
- (घ) पंजीकृत उत्पादक द्वारा देय बिक्री आय के एक प्रतिशत के सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर, प्रति किलोग्राम दो रुपये की राशि तंबाकू कोष में दी जाएगी, जो कि कोटे की बीस प्रतिशत सीमा से अधिक उत्पादित अतिरिक्त फ्लू-क्योर वर्जीनिया तंबाकू के लिए होगी।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी (कृषि-VI) भाग]

नितिन कुमार यादव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2026

S.O. 5643(E).— In exercise of the powers conferred by section 20A of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Board to allow the registered traders and dealers of that Board to purchase at their auction platforms authorised by them in the State of Andhra Pradesh during the auctions for the crop season 2026-27, the excess flue cured virginia tobacco produced by registered growers in the State of Andhra Pradesh during the crop season 2026-2027, subject to the following conditions, namely:-

- (a) a normal service charge of one per cent. of the proceeds of sale, payable by the registered grower, shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured virginia tobacco produced up to the extent of five per cent. of the quota;
- (b) an amount of rupees two per kilogram and five per cent. of the proceeds of sale, excluding the normal service charge of one per cent of the proceeds payable by the registered grower, shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured virginia tobacco produced over and above limit of five per cent. and up to ten per cent. of the quota;
- (c) an amount of rupees two per kilogram and ten per cent. of the proceeds of sale, excluding the normal service charge of one per cent. of the proceeds payable by the registered grower, shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured virginia tobacco produced over and above the limit of ten per cent. and up to twenty per cent of the quota;
- (d) an amount of rupees two per kilogram and fifteen per cent. of the proceeds of sale, excluding the normal service charge of one per cent. of the proceeds payable by the registered grower, shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured virginia tobacco produced over and above the limit of twenty per cent. of the quota.

[F. No. 5/3/2019-EP (Agri-VI) Pt]

NITIN KUMAR YADAV, Additional Secy.